hcm ripa
Since 1957

विधिक ज्ञान संहिता

Questions on Three Major Acts with Supreme Court Decisions
For State Service Officers & Others

एस.एस. बिस्सा

ह.च.मा.राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302017

प्रशिक्षण पुस्तिका

विधिक ज्ञान संहिता

Questions on Three Major Acts with Supreme Court Decisions
For State Service Officers & Others

एस.एस. बिस्सा
आई.ए.एस. (सेवा निवृत)

hcm ripa
Since 1957

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर-302017

अश्विनी भगत
आई.ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव (प्रशिक्षण) एवं
निदेशक

सत्यमेव जयते

ह.च.मा. राजस्थान राज्य
लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
जयपुर-302 017
फोन : 91-141-2706556
फैक्स :91-141-2705420

आमुख

किसी भी देश की विधि व्यवस्था एवं वहां पर प्रचलित विधियों से उस देश की प्रशासनिक एवं सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है । कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना किसी भी राज्य का प्राथमिक कार्य माना जाता है । कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये राज्य के अधिकारियों को कानून का सूक्ष्म ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है । हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा के अधिकारियों को विभिन्न विषयों के साथ साथ जीवन संचालन के तौर तरीकों के लिये भी प्रशिक्षित किया जाता है, किंतु इन समस्त विषयों के अतिरिक्त सभी अधिकारियों को कानून का ज्ञान होना वर्तमान समय की आवश्यकता है । संस्थान के सीनियर ऑनरेरी फैलो (सीएमएस) श्री एस. एस. बिस्सा, आइएएस (से.नि.) ने अत्यन्त सरल भाषा में तीन मुख्य अधिनियमों के सार प्रश्नों को एवं सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले सर्वोच्च न्यायालय के कुछ नवीन निर्णयों को मोनोग्राफ में संकलित करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। इससे प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेगी ।

अश्विनी भगत, आई.ए.एस.

प्रस्तावना

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा एवं समस्त राज्य सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है । प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग मोनोग्राफ प्रदान किये जाते हैं । राज्य सेवाओं के गत कुछ बैच में ऐसा अनुभव किया गया है कि विधि स्नातक अथवा अन्यथा विधि विषय से सम्बन्धित अधिकारी तुलनात्मक रूप से कम चयनित होकर आ रहे हैं जबकि कानून के ज्ञान की आवश्यकता दिनोंदिन बढती जा रही है और राज्य सेवा के लगभग सभी अधिकारियों विशेषतः प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा एवं जेल सेवा एवं परिवहन सेवा के अधिकारियों को कानून का क्रियान्वयन भी निरंतर करना होता है । इसलिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भारतीय सेवा स्तर एवं राज्य सेवा स्तर के अधिकारियों को कम से कम तीन मेजर एक्ट्स यथा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम के विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान हो तथा वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों से भी अवगत हों ।

इसी दृष्टि से सरल शब्दों में प्रश्नोत्तर रूप में यह ट्रेनिंग मोनोग्राफ तैयार किया गया है । तीनों कानूनों की कानूनी बारीकियों का सूक्ष्य दृष्टि से अवलोकन कर उसका परीक्षण करने के लिये मैं श्री पी. सी. जैन, एलएलबी डीएलएल, आरएचजेएस (से.नि.), श्री पी. के. शर्मा, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं श्री महेश बिस्सा, एलएलबी (5 वर्षीय एनएलयू) एलएलएम, उपमहाप्रबन्धक, जेएमआरसी (विधि) का आभारी हूँ । आशा है यह मोनोग्राफ समस्त नव चयनित अधिकारियों एवं सेवारत अधिकारियों हेतु लाभकारी होगा ।

(एस.एस. बिस्सा)
आईएएस (से.नि.)
सीनियर ऑनरेरी फैलो (सीएमएस)
एच.सी.एम. रीपा

भारतीय दंड संहिता **Indian Penal Code**

दण्डः शास्तिः प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डः धर्म बिदुर्बुधाः

Punishment alone governs all created beings. It protects them. It watches over them while they are asleep

(मनुस्मृति – VII-22)

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्जनः

दण्डस्य हि भ्याद्भीतो भोगायैव प्रवर्तते

It is difficult to find a man in this world who is always pure in all respects. It is only on account of the fear of pubishment that an individual behaves properly and is kept within bounds.

(महाभारत शांति पर्व 15-34)

भारतीय दंड संहिता Indian Penal Code

1. भारतीय दंड संहिता क्या है ?

   भारत में होने वाले अपराधों अथवा भारतीय नागरिक द्वारा कहीं भी किये जाने वाले अपराधों के दंड का प्रावधान करने वाले कानून को भारतीय दंड संहिता कहते हैं ।

2. भारतीय दंड संहिता किस पर लागू होती है ?

   भारत देश की सीमा में किसी भी व्यक्ति के अपराध करने पर; भारतीय नागरिक द्वारा भारत से बाहर कहीं भी अपराध करने पर; भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या विमान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर भारतीय दंड संहिता लागू होती है ।

   (विनायक डी. सावरकर बनाम 1910,एलआर 296)

   (Sec. 4)

3. अपराध क्या है ?

   अपराध (Offence) वह कृत्य है जो विधि द्वारा वर्जित है तथा जिसके लिये दण्ड विधि द्वारा दण्ड का प्रावधान है । अर्थात् भारतीय दंड संहिता अथवा किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा (By any special law or local law) दंडनीय घोषित कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है ।

   (Sec. 40)

4. सदोष अभिलाभ (Wrongful Gain) एवं सदोष हानि (Wrongful Loss) क्या है ?

   जब कोई व्यक्ति ऐसा अभिलाभ प्राप्त करता है अथवा अपने कब्जे में रखता है जिसे प्राप्त करने अथवा अपना बनाए रखनें

का वह अधिकारी नहीं है तो कहा जाता है कि वह सदोष अभिलाभ प्राप्त कर रहा है । (Receives any gain which he has no right to receive)

जब कोई व्यक्ति किसी संपति को खोता है या उसके कब्जे से दूर की जाती है या उसको वंचित किया जाता है जिसे वह अपने पास रखने का अधिकारी था तो कहा जाता है उसे सदोष हानि हुई है । (Looses any thing which he had right to have)

(Sec. 23)

5. विधिक भाषा में बेईमानी (Dishonesty) से किया गया कार्य कौनसा होता है ?

   संहिता के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से सदोष अभिलाभ (Wrongful Gain) प्राप्त करता है जिसे प्राप्त करने का वह हकदार नहीं है या दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि (Wrongful Loss) पहुंचाता है तो कहा जाता है कि उसने बेईमानी की है ।

   AIR 1959 SC 1390

   (Sec. 24)

6. सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य (Good Faith) क्या है ?

   जब कोई कार्य सम्यक सतर्कता ध्यान (with due care and attention) और विश्वास के साथ किया जाता है तो उसे सद्भावपूर्वक किया माना जाता है अन्यथा नहीं ।

   (Sec. 52)

7. भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड कितने तरह के होते हैं ?

संहिता के अंतर्गत दंड 5 प्रकार के होते हैं –

1. मृत्युदंड 2. आजीवन कारावास 3. कारावास (कठोर श्रम के साथ अथवा साधारण) 4. संपत्ति की जब्ती 5. जुर्माना । भारतीय दंड संहिता में 10 अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान है ।

(Sec. 53)

8. आजीवन कारावास (Life Imprisonment) का क्या तात्पर्य है ?

दंडित व्यक्ति के जीवन पर्यन्त कारागार में रहने की सजा को आजीवन कारावास कहते हैं । (जब तक समुचित सरकार द्वारा उसके (Appropriate Government) शेष जीवन की सजा को माफ न कर दिया जावे) सरकार द्वारा सजा को माफ या कम किया जा सकता है किन्तु यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा दी गई है जिसमें मृत्युदंड की सजा का भी प्रावधान था तो ऐसे व्यक्ति को जेल में बिना किसी छूट के कम से कम 14 वर्ष रहना ही होगा । (यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम श्रीहरन व अन्य एससी 2015 (9)) दिनांक 02.10.2015.

9. सिविल जेल (Civil Jail) क्या है ?

किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर किये कब्जे को न छोडने के कारण अथवा किसी तरह का जुर्माना जमा न करवाने के कारण अथवा किसी व्यक्ति की देनदारी को चुकाने के आदेश का उल्लंघन करने आदि के कारण

'सिविल जेल' की सजा दी जाती है । व्यक्ति जेल में रहता है किंतु यह साधारण कारावास से भिन्न है ।

10. संहिता के अनुसार किस उम्र तक के व्यक्ति द्ववारा किया गया अपराध साधारण अपवाद की संज्ञा में आने के कारण अपराध नहीं अपराध माना जाता ?

संहिता के अनुसार 7 वर्ष तक के व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाता तथा 7 वर्ष से 12 वर्ष तक (12 वर्ष से कम) के व्यक्ति द्वारा किया गया कोई आपराधिक कृत्य तभी अपराध की श्रेणी में आता है जब उसके आचरण की प्रकृति से सिद्ध हो सके कि उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व थी कि वह कार्य की प्रकृति को समझता था।

(Sec. 82,83)

11. प्रतिरक्षा अधिकार (Private Defence) क्या है ? इसमें विस्तार की क्या सीमाएं हैं ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से 106 तक अंकित प्रावधानों में किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वयं की तथा उसकी संपति की रक्षा के वास्ते प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है इसमें अंकित परीस्थ्तितियों में आपराधिक दायित्व नहीं बनता है । इनके अनुसार जब किसी व्यक्ति को युक्तियुक्त कारण (Reasonable cauuse) से आशंका हो कि हमलावर उसकी मृत्यु कारित कर सकता है या घोर उपहति (Grieveous Hurt) कारित कर सकता है या बलात्कार कर सकता है या प्रकृति विरूद्ध काम तृष्णा की पूर्ति (Unnatural lust) अथवा अपहरण कर सकता है अथवा ऐसा सदोष परिरोध (Wrongful Confinement) कर सकता है कि वह

लोक प्राधिकारियों (Public Authorities) से सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा अथवा एसिड डाल सकता है जिससे उपहति कारित हो सकती है – ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा में किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता । (कुछ अपवादों के साथ) एआईआर 2002 उच्चतम न्यायालय, 2980, सुब्रामनि बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु

(Sec. 100)

12. संपत्ति की रक्षा (Private defence of property) की क्या सीमा है ?

यदि किसी व्यक्ति को इस बात पर विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण (Reasonable Cause) एवं आशंका है कि हमलावर लूट (Robbery) कर सकता है अथवा रात्रि गृह भेदन (House Breaking by Night) कर सकता है, अथवा ऐसी जगह आग लगा सकता है, जिसे मानव आवास या संपति अभिरक्षा के रूप में उपयोग में लाया गया है अथवा चोरी (Theft) या गृह अतिचार (House Tresspass) ऐसी परिस्थिति में करता है कि यदि न रोका गया तो मृत्यु या घोर उपहति कारित हो सकता है तो उस समय व्यक्ति द्वारा संपत्ति प्रतिरक्षा में किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं होगा । (कुछ अपवादों को छोडकर) संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार तभी तक रहता है जब तक अपराध निरंतर हो रहा होता है

(Sec. 103)

13. आपराधिक षडयंत्र (Criminal conspiracy) क्या है ?

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने अथवा वैध कार्य अवैध साधनों से करने पर सहमत होते हैं तो ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है । ऐसे

षडयंत्र की सजा अपराध जिसके लिये षडयंत्र किया गया तदनुसार ही होती है ।

(Sec. 120 A, 120 B)

14. राजद्रोह (Sedition) क्या है ?

जब कोई व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति बोले गए या लिखे गए शब्दों से या संकेतों से या दृश्यरूपेण (Visible representation) से घृणा या अवमान पैदा करता है या पैदा करने का प्रयत्न करता है या 'अप्रीति' प्रदीप्त कर देता है (Excites dis affection) है या प्रयत्न करता है तो वह कृत्य राजद्रोह कहलाता है । इस अपराध के सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है । 'अप्रीति' (Disaffection) के अन्तर्गत अभक्ति व शत्रुता (Disaffection and enimity) की समस्त भावनाएं आती हैं । केदारनाथ सिंह बनाम भारत सरकार एआईआर 1962 उच्चतम न्यायालय ।

(Sec. 124 A)

15. लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराध कौनसे हैं ?

संहिता की धारा 166 से 171 में ऐसे 6 अपराध वर्णित हैं – जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को नुकसान (क्षति) पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना (जैसे किसी के पक्ष में पारित डिक्री का निष्पादन (Execution of Decree) न कराना, किसी को नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से गलत दस्तावेज तैयार करवाना, विधि विरूद्ध रूप से (जिसकी अनुमति न हो) कोई व्यापार करना, विधि विरूद्ध रूप से कोई संपत्ति क्रय करना या बोली लगाना, किसी अन्य व्यक्ति के पद के धारण करने का प्रतिरूपण (Personation) करना, कपटपूर्ण आशय से

कोई सरकारी वर्दी धारण करना (जिसका वह अधिकारी नहीं हो) लोक सेवकों के अपराध कहलाते हैं । (इन मामलों में अपराध अनुसार 3 माह की सजा से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है) ।

16. लोक सेवक द्वारा किसी विधिक प्राधिकारी (Lawful Authority) के विधिक आदेश की अवहेलना सम्बन्धी प्रावधान क्या हैं ?

संहिता में लोक सेवकों द्वारा किसी विधिक प्राधिकारी (Lawful Authority) द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करने पर सजा का प्रावधन है – जिसमें प्राधिकारी द्वारा जारी हाजिर होने के समन की तामील में बाधा डालना, तामील हो जाने पर उपस्थित न होना, मिथ्या सूचना देना या सूचना न देना या दस्तावेज पेश न करना, मिथ्या साक्ष्य देना, या ऐसी साक्ष्य गढना (Fabrication of False Evidence) शपथ लेने – उत्तर देने कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना, दूसरे लोक सेवक के विधिक कृत्य में बाधा डालना – आदि शामिल हैं – इन अपराधों में किसी में एक माह तो किसी में 3 वर्ष (अपराध की गंभीरता अनुसार) की सजा का प्रावधान है ।

(Sec. 172-190)

17. मिथ्या साक्ष्य क्या है ? (False Evidence)

जब कोई व्यक्ति सत्यकथन करने हेतु शपथपूर्वक आबद्ध होने के पश्चात् अथवा अन्यथा यह विश्वास करते हुए कि उसका कथन मिथ्या है, साक्ष्य देता है तो वह मिथ्या साक्ष्य का अपराधी है । मिथ्या साक्ष से न्यायिक कार्य के निर्णय पर पडने वाले प्रभाव की गंभीरता के अनुसार विभिन्न दंडों का

प्रावधान है यथा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिये किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध कराने के उद्‌देश्य से मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे आजीवन कारावास तक हो सकता है । यदि किसी व्यक्ति की मिथ्या साक्ष्य से किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी गई तो ऐसी मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा भी हो सकती है ।

(Sec. 192, 193,194)

18. लोक न्यूसेंस (Public Nuisance) क्या है ?

जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है या जो कार्य करना चाहिये उसे नहीं करता है जिससे आसपास रहने वाले जन सायधारण को स्वयं को या उनको अपनी सम्पत्ति के अधिभोग में क्षति (Injury) बाधा (Obsctruction) खतरा (Danger) या क्षोभ (Annoyance) होता है या होना अवश्यंभावी होता है तो उसे लोक न्यूसेंस कारित करना माना जाता है ।

इस उपबंध में लोक जीवन के लिये संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना (Spreed the Infection) रास्ते में तेज वाहन चलाना, जलस्रोत को प्रदूषित करना, अश्लील पुस्तकों का वितरण करना या लोक स्थान (Public Place) पर अश्लील कार्य या गायन भी शामिल है । कृत्य की गंभीरता के अनुसार दंड निर्धारित है ।

(Sec. 268 to 294)

19. धर्म से सम्बन्धित अपराध क्या है ?

जब कोई व्यक्ति किसी उपासना स्थल या किसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पवित्र समझी गई किसी वस्तु को यह संभाव्य

जानते हुए नष्ट करता है कि उससे दूसरे वर्ग अपना अपमान समझेगा अथवा किसी धर्म के लोगों की धर्मिक भावना को आहत करने के आशय से लिखित या मौखिक शब्दों को प्रयोग करता है अथवा वैध रूप से एकत्र किसी धर्मिक समुदाय के कार्य में विघ्न डालता है अथवा अन्त्येष्टि स्थल/कब्रिस्तान पर मृतकों के अवशेष हेतु निर्धारित स्थल पर अतिचार करता है या मानव शव की अवहेलना करता है तो माना जाता है कि उससे धर्म सम्बन्धित अपराध किया गया है । ऐसा करने पर उसे एक वर्ष एवं तीन वर्ष की सजा अपराध की गंभीरता एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए दी जा सकती है ।

(Sec. 295 to 298)

20. सदोष मानव वध (Calpable Homicide) क्या है ?

भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 धारा 299 से 377 तक ऐसे अपराधों का वर्णन किया गया है जिनका सम्बन्ध मानव शरीर से है उनमें हत्या, गर्भपात, चोट पहुंचाना, बल प्रयोग हमला, अपहरण, बलात्कार आदि आते हैं ।

जब कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय (Intention) या यह ज्ञान (Knowledge) रखते हुए कोई कृत्य करता है जिससे मृत्यु संभाव्य है (Likely to cause death) और मृत्यु कारित होती है तो कहा जाता है कि उसने सदोष मानव वध किया है ।

भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 धारा 299 से 371 तक ऐसे अपराधों का वर्णन किया गया है जिनका संबंध मानव

शरीर से है उनके हत्या, गर्भपात, चोट पहुंचाना, बल प्रयोग, हमला, अपहरण, बलात्कार आदि आते हैं ।

उदाहरणार्थ – यह व्यक्ति 'अ' गड्ढे पर इस आशय से घास और लकडी बिछाता है कि किसी की मृत्यु कारित करे – दूसरा व्यक्ति ब यह विश्वास करते हुए कि भूमि सुदृढ है उस पर चल कर गडढे में गिर कर मर जाता है तो अ सदोष मानव वध का अपराधी है ।

(Sec. 299)

21. हत्या क्या है ?

जब कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय (Intention) से ऐसा कृत्य करता है या शारीरिक चोट पहुंचाता है जिसे वह जानता है कि इससे मृत्यु हो सकती है या यह चोट सामान्यतः (Ordinarily) मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त (sufficient) होगी या वह जानता है कि उसका कृत्य इतना खतरनाक है कि इससे ऐसी चोट पहुंचेगी जिसे मृत्यु सर्व संभाव्य (in all probability) है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति ने हत्या की है ।

उदाहरणार्थ – एक व्यक्ति भीड पर तोप का गोला छोडता है या वेगपूर्वक गर्दन पर तलवार का वार करता है कि गर्दन अलग हो सके – और व्यक्ति मर जाता है तो माना जाता है कि वह हत्या का अपराधी है (इसे सदोष मानव वध नहीं माना जाता बल्कि हत्या ही माना जाता है क्योंकि व्यक्ति का मरना लगभग निश्चित माना जाता है हत्या का अपराधी है ।

स्पष्टीकरण – संहिता की धारा 299 एवं 300 सदोष मानव वध एवं हत्या अति सूक्ष्म कानूनी विश्लेषण की धाराएं हैं । मूल अंतर इतना ही है कि मानव वध (हत्या) तभी होता है

जब कृत्यकर्ता पर यह सिद्ध हो जाए कि (knows to be likely to cause death) वह जानता था कि मृत्यु सर्वथा संभाव्य है और साथ ही उसका कृत्य इतना खतरनाक है कि सामान्य अवस्था मृत्यु कारित करने में पर्याप्त है – बचने की संभावना संभवतः नहीं है ।

सदोष मानव वध में (knows to be likely to cause death) है । मृत्यु की संभावना होती है। हत्या में सजा फांसी तक हो सकती है। सदोष मानव वध में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। (कुसा मांझाी बनाम उडीसा सरकार 1985 उच्चतम न्यायालय 1460)

(Sec. 300)

22. दहेज हत्या (Dowry Death) किसे कहते हैं ?

जब किसी स्त्री की मृत्यु जलने से या शारीरिक चोट के कारण विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में हो जाती है और यह प्रकट होता है कि मृत्यु से पूर्व उससे दहेज की मांग की गई थी या उसे तंग किया गया था (Cruelty or Harassment) तो ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाती है ।

इस मामले में न्यूनतम सजा 7 वर्ष है वैसे यह आजीवन कारावास तक हो सकती है । (शोभारानी विरूद्ध मधुकर 1988 उच्चतम न्यायालय) (1) 1010, जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2018 एससीसी 593

गुजरात उच्च न्यायालय ने एन. एस. रोहित विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात में और सर्वोच्च न्यायालय के सी. वी. राव विरूद्ध एलएच प्रसाद के मामलों में यह निर्णय दिया है कि दहेज हत्या के मामले में पूरे परिवार के विरूद्ध दायर मामले में जब तक प्रत्येक के विरूद्ध आरोप पृथक से सिद्ध नहीं हों

उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने राजेश कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दिनांक 02.07. 2017 में 498 के दुरूपयोग को रोकने हेतु भी दिशा निर्देश दिये हैं ।

(Sec. 304 B)

23. चोट पहुंचाना (Hurt) और गंभीर चोट (Grieving Hurt) क्या है ?

संहिता में किसी को शारीरिक पीडा रोग या अंग शैथिल्य (Infirmity) पहुंचाना चोट माना माना जाता है किंतु गंभीर चोट के कुछ तत्व निर्धारित है वैसा होने पर ही गंभीर चोट मानी जाती है जिसमें 8 प्रकार है –

पुंसत्वहरण (Emasculation) नेत्र दृष्टि का स्थाई विच्छेद, श्रवण शक्ति का स्थाई विच्छेद, किसी अंग या जोड का का स्थाई विच्छेद, अंग की शक्ति का स्थाई नाश, सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण (Distiguration) हड्डी या दांत को तोडना या ऐसी चोट पहुंचाना कि व्यक्ति शारीरिक चोट एवं पीडा के कारण कम से कम 20 दिन तक अपने सामान्य कामकाज से असमर्थ हो जाए ।

आठ में से किसी एक या अधिक के होने पर ही गंभीर चोट मानी जाती है अन्यथा नहीं ।

चोट के लिये 1 वर्ष जबकि गंभीर चोट हेतु 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है ।

24. सदोष अवरोध और सदोष परिरोध क्या है ? (wrongful restraint & wrongful confinement)

जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी दिशा में जाने से रोकता है जहां जाने का उसका विधिक अधिकार है तो यह कृत्य सदोष परिरोध की संज्ञा में आता है ।

जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी निश्चित सीमा से परे जाने से (Circumscribing Limits) रोकता है (एक तरफ नहीं किसी भी दिशा में) तो यह कृत्य सदोष अवरोध की संज्ञा में आता है ।

अवरोध में सजा एक माह जबकि परिरोध में एक वर्ष तक की सजा हो सकती है ।

(Sec. 339, 340)

25. लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने संबंधी क्या प्रावधान हैं ?

प्रत्येक लोक सेवक को निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकता है या भयाक्रांत करता है या हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसका कृत्य संहिता के अनुसार अपराध की संज्ञा में आता है ।ऐसे कृत्य के लिये उसे दो वर्ष तक के दंड से दंडित किया जा सकता है ।

(Sec. 354)

26. यौन अपराध (Sexual offences) क्या है ?

संहिता की धारा 375 से 377 में यौन अपराधों की प्रकृति एवं सजा के संबंध में बताया गया है । धारा 375 बलात्संग से संबंधित है। कोई पुरूष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध, सहमति के बिना, डराकर सहमति प्राप्त करके, यह

जानते हुए वह उस स्त्री का पति नहीं है, विकृत चित्त स्त्री से या नशा देकर सहमति प्राप्त करके अथवा सहमति प्राप्त करके जब स्त्रीकी उम्र 16 वर्ष से कम हो तो – उसके साथ संग करना बलात्संग (Rape) की परिभाषा में आता है। ऐसे मामलों में सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है ।

लोक सेवक, पुलिस – जेल अधिकारी, अस्पताल प्रबंधक द्वारा किये ऐसे गये अपराध में कठोर दंड का प्रावधान है ।

स्त्री पुरूष या पशु (Home Sexuality & Bestiality) के साथ संग जैसे प्रकृति विरूद्ध संग करने के अपराध में भी दस वर्ष तक की सजा से का प्रावधान है ।

स्पष्टीकरण – माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में (Homo Sexuality) को अपराध की श्रेणी में नहीं माना है किंतु पशुओं के साथ संग को अपराध माना है ।

स्पष्टीकरण – माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में में (Homo Sexuality) को अपराध की श्रेणी में नहीं माना है किन्तु पशुओं के साथ संग को अपराध माना है ।

नोट – इसके अतिरिक्त संहिता की संशोधित धारा 354 ए बी सी डी के अनुसार किसी महिला को पार्नोग्राफिक चित्र दिखाना, ऐसे शब्द बोलना, ऐसे समय उसे देखना या चित्र लेना जब वह अपनी निजी क्रिया में यह निश्चित मानकर व्यस्त हो कि कोई नहीं देख रहा हो सकता, (voyeurism) उसके न चाहते हुए भी उससे सम्पर्क करने हेतु पीछा करना (stalking) भी यौन उत्पीडन (sexual harassment) की संज्ञा में आता है । इसमें एक वर्ष या तीन वर्ष की सजाओं का अपराध की गम्भीरता के अनुसार प्रावधान है ।

27. चोरी क्या है ?

संहिता की भाषा में चोरी तब तक आपराधिक कृत्य नहीं होती जब तक 5 तत्व पूर्ण न हो –

चोरी की गई वस्तु – जंगम हो (Movable) बिना सहमति (Without Consent) बेईमानी के आशय से (Dishonestly) दूसरे व्यक्ति के कब्जे से (Out of Possession) हटाई जाए (Move)। पांच में से एक तत्व भी कम होने पर चोरी नहीं कही जाती हैं ।

(Sec. 378)

28. लूट (Robbery) एवं डकैती (Dacoity) में क्या अन्तर है ?

चोरी करने वाले व्यक्ति द्वारा चोरी कोई संपत्ति ले जाने या उसका प्रयत्न करने के उद्देश्य से जब किसी व्यक्ति को मृत्यु, गंभीर चोट, सदोष अवरोध का भय कारित किया जाए तो ऐसी चोरी लूट (Robbery) कहलाती है ।

जब कोई लूट 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त होकर की जाती है तो वह डकैती कहलाती है ।

लूट की सजा 10वर्ष और डकैती की आजावन कारावास है ।

(Sec. 390, 391)

29. कूट रचना (Forgery) क्या है ?

जब कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख (False Document or False Electronic Record) इस आशय से रचता है कि उससे किसी व्यक्ति को नुकसान कारित किया जाय या किसी दावे का समर्थन किया जाए या किसी व्यक्ति को कपटपूर्वक (Fradutently) सम्पत्ति से अलग किया जाए तो माना जायेगा कि उस व्यक्ति ने कूट रचना (Forgery) की है ।

(Sec. 463)

30. जारकर्म / व्याभिचार (Aldultery) क्या है ?

जब कोई व्यक्ति किसी अन्य पुरूष की पत्नि के साथ, जिसे वह किसी अन्य पुरूष की पत्नि होना जानता है या ऐसा विश्वास करने का कारण रखता है, उस अन्य पुरूष की सहमति या मौनानुकूलता (consent or connivance) के बिना ऐसा संग करता है जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है – तो वह व्यक्ति जारकर्म का दोषी होता है । ऐसे कृत्य हेतु 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है । इस मामले में स्त्री (पत्नि) को दुष्प्रेरणा (Abetment) का दोषी नहीं माना जाता है ।

स्पष्टीकरण :– सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय जोसेफ शाईन विरूद्ध यूनियन आफ इण्डिया में कहा है कि यह धारा असंवैधनिक है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है, यदि कोई पुरूष किसी दूसरे पुरूष की पत्नि से उसके पति की सहमति से संग करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता – इसमें पत्नि को पति की संपत्ति नहीं माना जा सकता । यह विवाह विच्छेद करवाने हेतु सिविल न्यायालय का मामला हो सकता है, आपराधिक मामला नहीं । सरकार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा गया था कि व्याभिचार को अपराध की संज्ञा से हटाना विवाह संस्था के पावित्र्य को प्रभावित करेगा । इसमें स्त्री के किसी पुरूष से संग करने के अधिकार की तो रक्षा होगी किंतु उसके सम्मान की रक्षा कैसे होगी । अभी तक आईपीसी की धारा में सर्वोच्च न्यायालय आदेश अनुसार धारा में संशोधन नहीं हुआ है ।

(Sec. 497)

31. स्त्री के साथ उसके पति या निश्तेदारों द्वारा किये गये किस तरह के व्यवहार को क्रूरता (Cruelty)माना गया है ।

पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी स्त्री के प्रति इस तरह का आचरण जिससे वह स्त्री आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाए या उसको शारीरिक या मानसिक पीडा दे जिससे उसके जीवन को गंभीर क्षति या खतरा पैदा हो अथवा उस स्त्री को इस तरह तंग करे कि वह या उसके रिश्ते नातेदार कोई संपत्ति की मांग पूर्ति करने में असहमत रहा है तो ऐसा कृत्य स्त्री के प्रति की गई क्रूरता की संज्ञा में आता है । ऐसा करने वालों को 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है ।

(Sec. 398 A)

32. मानहानि (Defamation) क्या है ?

जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बोले गए या पढे गऐ शब्दों, संकेतों, दृश्यरूपणों (Visible Representative) द्वारा ऐसे लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से दूसरे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि हो तो माना जायेगा कि उसने दूसरे व्यक्ति की मानहानि की है । मानहानि मृत व्यक्ति की भी हो सकती है यदि शब्द ऐसे हैं कि वह जीवित होता तो उसे अपहानि करता या अब उसके निकट संबंधियों व परिवार जनों की भावनाओं को ठेस (Harm) पहुंचती। (के. के. मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सीआरआई अपील पिटीशन नं. 547/2018 जस्टिस रंजन गोगोई)

इस धारा का प्रमुख अपवाद है, सत्य बात का लांछन लगाना अपराध नहीं है । साथ ही अन्य अपवाद भी हैं ।

मानहानि का दंड 2 वर्ष की साधारण कारावास है अथवा जुर्माना अथवा दोनों है ।

(Sec. 500)

33. गुमनाम सूचना से आपराधिक अभित्रास क्या है (Criminal Intimidation by Anonymous Communication)

    जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को (लोक सेवक सहित) अनाम सूचना द्वारा अपने नाम पते निवास छिपाते हुए धमकी देता है तो वह आपराधिक अभिग्रास करता है – उसे 2 वर्ष की सजा से दंडित किया जा सकता है ।

34. आपराधिक न्यास भंग क्या है ?

    जब किसी व्यक्ति को कोई संपति न्यस्त (Entrusted) की जाती है और वह उस सम्पत्ति का बेईमानी से (Dishonestly) निर्वहन (Misappropriation) करता है या विधि विरूद्ध बेईमानी से उपयोग या व्ययन (Dispose) करता है तो उसका कृत्य आपराधिक न्यास भंग की संज्ञा में आता है । इसमें सजा तीन वर्ष तक की है ।

    (Sec. 405)

35. अपराध करने का प्रयत्न करना क्या है ?

    जब कोई व्यक्ति संहिता में उल्लखित अपराध को करने का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न हेतु संहिता में पृथक से किसी सजा का प्रावधान नहीं है तो ऐसे अपराध के प्रयत्न पर उस व्यक्ति को उस अपराध में होने वाली सजा की आधी सजा दी जाने का प्रावधान है ।

    उदाहरणार्थ – एक व्यक्ति दूसरे की जेब में कुछ चुराने के उद्देश्य से हाथ डालता है और जेब में कुछ न होने के कारण असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन चोरी की आधी सजा का दोषी है ।

दंड प्रक्रिया संहिता
(The Code of Criminal Procedure)

स राजा पुरूषो दण्डः स नेता शासिता च स

चतुर्णाणम् आश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः

(Since the God created kingship) 'Punishment' is in reality the king and the administrator of all affairs and the ruler and that is the guarantor for the four orders to act in accordance with law.

(कौटिल्य, मनुस्मृति – VIII-3)

राजदण्ड भयादेके पापाः पापं न कुर्वते

यमदंड भयादेके परलोक भयादपि

People hesitate to commit offences for three reaspns-For fear of being punished by the King; For fear of being punished by Yama; For fear of adverse Public opinion.

(महाभारत शांति पर्व 15, 5–6)

दंड प्रक्रिया संहिता
(The Code of Criminal Procedure)

1. दंड प्रक्रिया संहिता (The Code of Criminal Procedure) क्या है ?

   भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि (Law at the time being in force) के अधीन समस्त अपराधों का अन्वेषण, जांच विचारण (Investigation enquiry and trial) एवं इनके बाद की कार्यवाहियां निर्दिष्ट करने वाली विधि दंड प्रक्रिया संहिता है । वर्तमान दंड संहिता 01 अप्रैल, 1974 को अस्तित्व में आई ।

2. अपराध (Offence) क्या है ?

   अपराध (Offence) वह कृत्य है जो विधि द्वारा वर्जित है उसे करना या करने योग्य को न करना

   (Act or Omission) तथा जिसके लिये दण्ड विधि द्वारा दण्ड का प्रावधान है । अर्थात् भारतीय दंड संहिता अथवा किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा (By any special law or local law) दंडनीय घोषित कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है ।

3. संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) और असंज्ञेय अपराध (Non Cognizable Offence) क्या है ?

   ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है वे संज्ञेय अपराध है । असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती उसे न्यायालय आदेश की आवश्यकता होती है । कौन से अपराध संज्ञेय हैं और कौनसा नहीं है इसका वर्णन संहिता की प्रथम अनुसूची में किया गया है ।

(Sec. 2 C)

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) किसे कहते है ?

प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने पर तैयार किया जाता है । संज्ञीय अपराध के सम्बन्ध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई सूचना निर्धारित पंजिका में लिपिबद्ध की जाती है । सामान्यतः यह किसी अपराध से पीडित व्यक्ति द्वारा पुलिस को की जाने वाली शिकायत है । यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि इसके दायर होने के पश्चात् ही आपराधिक न्याय की प्रकिया प्रारंभ होती है । प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध की घटना का समय, तिथि स्थान एवं विवरण अंकित होता है । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पुलिस द्वारा सूचना दाता को निःशुल्क दी जाती है । यदि पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करे तो व्यक्ति डाक द्वारा ऐसी सूचना सीधे पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है । पुलिस अधीक्षक उसे प्रथम सूचना मानकर स्वयं अन्वेषण कर सकता है या अपने अधीनस्थ को अन्वेषत हेतु दे सकता है । सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमार बनाम यू. पी. सरकार रिट पिटीशन (कि्रमिनल नं. 68/2008 में धारा 154 में एफआईआर दर्ज करने हेतु आज्ञा सूचक मैंडेटरी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं ।

(Sec. 154)

5. जीरो (Zero FIR) क्या है ?

जिस स्थल पर कोई अपराध की घटना घटित होती है यदि वह स्थल उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में नहीं है तो

पुलिस स्टेशन में घटना की सूचना जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज कर मामला उस थाने को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर दिया जाता है जिसके क्षेत्राधिकार में घटना स्थल है ।

6. परिवाद (Complaint) क्या है ?

जब किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने मौखिक अथवा लिखित कोई शिकायत पेश की जाती है कि किसी ज्ञात अथवा अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोई अपराध घटित किया गया है उसे विरूद्ध संहिता के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावे तो ऐसी शिकायत (अभिकथन) को परिवाद कहा जाता है किंतु पुलिस रिपोर्ट इसके अन्तर्गत नहीं आती है ।

(Sec. 2 D)

7. जमानतीय (Bailable) और गैर जमानतीय (Non Bailable) अपराध क्या है ?

संहिता की प्रथम सूची में अंकित अपराध अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त कानून में जमानतीय अंकित अपराध जमानत योग्य कहलाते हैं–अन्य सभी अपराध गैर जमानतीय की श्रेणी में आते हैं ।

(Sec. 2 A)

8. वारंट केस कौन से होते हैं ।

जिस अपराध में मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा अथवा 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान होता है ऐसे मामले वारंट केस कहलाते हैं । इनके अतिरिक्त सभी समन्स केस होते हैं ।

(Sec. 2 X)

9. जांच (Enquiry) अन्वेषण (Investigation) और विचारण (Trial) में क्या अंतर है ?

जांच मजिस्ट्रेट द्वारा किसी तथ्य की सत्यता की जानकारी हेतु विचारण (Trial) प्रारम्भ होने से पूर्व की जाती है । अन्वेषण (Investigation) पुलिस अधिकारी द्वारा इस बात का निश्चय करने हेतु की जाती है कि कोई अपराध हुआ है या किया गया है, साक्ष्य संग्रह करने हेतु की जाती है । विचारण (Trial) जब मुकदमा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो जाता है अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील और अभियुक्त हाजिर होते हैं तो न्यायालय में जो सुनवाई होती है वह विचारण कहलाती है । विचारण के पश्चात् ही दंड अथवा दोष मुक्ति का आदेश होता है ।

जांच और विचारण की प्रकृति न्यायिक है । अन्वेषण की प्रकृति न्यायिक के बजाए पुलिस कार्यवाही है।

10. अभियुक्त को उन्मोचित (Discharge) करने और दोषमुक्त (Acquitted) करने में क्या अंतर है ?

जब किसी अंभियुक्त के विरूद्ध कोई अभियोग प्रथम दृष्ट्या विचारण (Prima Facie) स्थापित ही नहीं होता है और उसे अभियोग के बारे में अपनी सफाई पेश करने हेतु भी नहीं कहा जाता है तो अभियुक्त को केस से उन्मोचित (Discharge) किया जाता है । जब अभियुक्त पर प्रथम दृष्ट्या केस बनता है उस पर आरोप लगाकर सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है तत्पश्चात् गुणावगुण (Merits) विचारकर जो निर्णय दिया जाता है कि आरोप सिद्ध नहीं है तो अभियुक्त को दोषमुक्त (Acquitted) किया जाता है ।

उन्मोचित (Discharge) अभियुक्त को साक्ष्य मिलने पर विचारण हेतु पुनः बुलाकर उस पर आरोप (Charge) प्रस्थापित किया जा सकता है किंतु दोषमुक्त (Acquitted) व्यक्ति को पुनः अपराध पर विचार हेतु नहीं बुलाया जा सकता है ।

11. दंड न्यायालयों (Criminal courts) के नाम और स्तर क्या हैं ?

    संहिता के अनुसार उच्च न्यायालय के अतिरिक्त दंड न्यायालय चार तरह के होते हैं ।

    1. सेशन न्यायालय/अतिरिक्त सेशन न्यायालय (Session courts)
    2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM/ACJM)
    3. प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
    4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate)

    महानगरों में महानगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाता है । इसके अतिरिक्त देश के कुछ राज्यों में सहायक सेशन न्यायाधीश का पद भी है ।

12. दंड न्यायालयों (Criminal Courts) के अधिकारियों के क्या दंडाधिकार हैं ?

    सेशन न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को मुत्युदंड एवं विधि द्वारा प्राधिकृत किसी भी अवधि की कारावास की सजा अथवा जुर्माना का अधिकार है किंतु उनके द्वारा दिये गये मृत्यु दंड को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जाना आवश्यक है ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 7 वर्ष तक की सजा का अधकार है । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को 3 वर्ष तक की सजा एवं 10,000 रूपये तक जुर्माने का अधिकार है । द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जो राजस्थान में नहीं है) को एक वर्ष तक की सजा एवं 5,000 रूपये के जुर्माने का अधिकार है ।

सेशन जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त राज्य में कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो प्रत्येक जिले एवं उपखण्ड में क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट के पदनाम से होते हैं, उन्हें भी संहिता के अध्याय 8 के अनुसार परिशांति कायम रखने के लिये सदाचार के लिये एवं प्रतिभूति (Security for keeping peace & for good behaviour) का अधिकार है तथा प्रतिभूति न देने वाले को जेल भेजा जा सकता है । कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी यथा विधि प्रवृत्त दंड प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष तक का कारावास दंड पारित कर सकते हैं ।

13. पुलिस किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध (Non Cognizable Offence) में कब गिरफ्तार कर सकती है ?

यदि किसी व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है या उस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया है और वह पुलिस अधिकारी के पूछने पर अपना नाम, पता बताने से इन्कार करता है या पुलिस अधिकारी को पूर्ण विश्वास होता है कि वह गलत सूचना दे रहा है तो उसे गिरफ्तार कर नाम पते अभिनिश्चित कर सकती है । नाम पता अभिनिश्चित (Ascertain) होने के बाद उसे प्रतिभू (Surety) सहित या उसके बिना मुचलका (Bond) पर छोड दिया जाएगा ।

(Sec. 42)

14. प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है ?

यदि कोई व्यक्ति प्राईवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई संज्ञेय (Cognizable) एवं गैर जमानतीय (Non bailable) अपराध करता है या कोई उद्घोषित अपराधी (Proclaimed offender) है तो उसे प्राईवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकते हैं किंतु उसे बिना अनावश्यक विलंब के पुलिस के हवाले करना होगा ।

(Sec. 43)

15. समन (Summon) क्या है ?

न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिये अथवा कोई वस्तु या दस्तावेज पेश करने के लिये जारी की जाने वाली आदेशिका समन कहलाती है । समन की तामील पुलिस द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाये नियमों के अधीन किसी अधिकारी या लोक सेवक के द्वारा करवाई जाती है ।

(Sec. 61, 62)

16. गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) क्या है ?

न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये जारी आदेशिका को गिरफ्तारी वारंट (Warrant of arrest) कहते हैं। न्यायालय ऐसे आदेश के नीचे अपने स्वविवेक के अनुसार यह निर्देश दे सकती है कि व्यक्ति अपनी न्यायालय में हाजिरी के लिये यदि प्रतिभूओं (Surities) सहित मुचलका (Bond) पेश कर दे तो उसे अभिरक्षा से छोड दिया जाएगा । वारंट की तामील पुलिस द्वारा करवाई जाती है ।

(Sec. 70, 71)

17. परिशांति कायम रखने के लिये (Keeping peace) किसी व्यक्ति को कब और किस तरह पाबंद किया जाता है ?

   ए. दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये ऐसे व्यक्ति को दण्डादेश देते समय यह आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष तक की अवधि के लिये प्रतिभूति सहित या रहित बन्ध पत्र निष्पादित करे । ऐसा आदेश सैशन न्यायालय अथवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है ।

   बी. अन्य दशाओं में परिशांति रखने के लिये जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) को यह सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति ऐसा गलत कार्य करेगा या लोक प्रशांति को परिक्षुब्ध (Disturb the Public Tranquility) और मजिस्ट्रेट की राय में यह कार्यवाही का पर्याप्त आधार है तो उस व्यक्ति को एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिये प्रतिभुओं सहित या बिना मुचलका देने हेतु पाबंद किया जा सकता है ।

(Sec. 107)

18. किसी व्यक्ति के सदाचरण (Good behaviour) के लिये कब और कैसे पाबंद किया जा सकता है ?

   जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति छिपाने की पूर्वावधानियां (Taking precautions to conceal his presence) और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) कर सकता है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को आदेश जारी कर अपेक्षा कर

सकता है कि क्यों न उसे एक वर्ष के लिये सदाचरण (Good behaviour) से रहने के लिये प्रतिभूओं सहित या बिना मुचलके से पाबंद किया जाए । यदि वह व्यक्ति अपनी निर्दोषता सिद्ध नहीं कर पाता है और बंध पत्र भी नि पादित नहीं करता है तो उसे एक वर्ष के लिये जेल भेजा जा सकता है ।

(Sec. 109)

19. अभ्यासिक अपराधियों (Habitual offenders) को सदाचरण के लिये कौन व कितने समय हेतु पाबंद कर सकता है ?

अभ्यासिक अपराधियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तीन वर्ष की अवधि हेतु पाबंद किया जा सकता है ।

(Sec. 110)

20. राज द्रोहात्मक (Disseminating Seditious Matters) बातें फैलाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में राजद्रोहात्मक बातें फैला रहा है (Disseminating Seditious Matters) तो उसे आदेशिका जारी कर पूछा जा सकता है कि क्यों न उसे एक वर्ष के लिये सदाचरण में रहने हेतु पाबंद किया जाए ।

(Sec. 108)

21. संहिता के अनुसार पत्नी संतान एवं माता पिता का भरण पोषण करने हेतु कौन जिम्मेदार है । इसके क्या प्रावधान हैं । (Maintenance of wife, children & Parents)

यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी अपनी धर्मज या अधर्मज, अवयस्क अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य सन्तान अथवा अपने माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इन्कार करता है तो उसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित मासिक भरण पोषण की राशि देने के निर्देश दिये जा सकते हैं । आदेश की पालना न करने पर एक माह तक या भरण पोषण न करने पर कारावास का दण्ड भी दिया जा सकता है ।

(Sec. 125)

22. लोक न्यूसेंस (Public Nuisance) क्या है और इससे सबध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार है ?

यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इतला मिलती है कि जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में ली जा सकने वाले रास्ते या नदी के उपयोग कोई विधि विरूद्ध बाधा उत्पन्न कर रहा है अथवा कोई ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो समाज के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है अथवा किसी भवन के निर्माण या किसी वस्तु के रखने से विस्फोट हो कर आग लग सकती है अथवा कोई भवन वृक्ष गिरकर आमजन को नुकसान पहुचा सकता है अथवा कोई जानवर खतरनाक हो गया है ऐसे समस्त कृत्य लोक न्यूंसस की संज्ञा में आते हैं और ऐसी समस्त बाधाओं के निवारण के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित व्यक्ति या मालिक को सुनकर बाद संतुष्टी निवारण के आदश जारी किये जा सकते हैं । अवज्ञा करने वाले को एक माह के साधारण कारावास की सजा हो सकती है । ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच

प्रक्रिया के दौरान व्यादेश (Injunction) रोक जारी किया जा सकता है ।

मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये ऐसे आदेश को किसी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी

(Sec. 133)

23. धारा 144 क्या है ?

जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में किसी ऐसे लोक न्यूसेंस को तुरंत निवारण की आवश्यकता है जिसे तुरंत निवारण न करने की स्थिति में मानव जीवन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को क्षति पहुंच सकती है या लोक प्रशाांति विक्षुब्ध (Disturbance of Public Tranquility) हो सकती है या बलवा (Riot) हो सकता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा किसी क्षेत्र के व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई कार्य न करने या क्षेत्र में न जाने के आदेश दिया जा सकता है । ऐसा जारी किया गया सामान्य आदेश प्राथमतः 2 माह तक जारी रह सकता है जिसे 6 माह तक बढाया जा सकता है ।

24. संहिता की धारा 161 एवं धारा 164 के बयानों में क्या अंतर है ?

पुलिस द्वारा किसी अपराध का अन्वेषण करते समय किसी व्यक्ति से की जाने वाली पूछताछ एवं रिकार्ड किये गये बयान धारा 161 के बयान कहलाते हैं । बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा इन बयानों पर हस्ताक्षर नहीं किये जायेंगे, ऐसे कथन दृश्य, श्रव्य, अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा भी अभिलिखित किये जा सकते हैं । न्यायालय में भी इन बयानों में कहे गये तथ्यों के आधार पर ही विश्वास कर फैसला नहीं किया जाता है । धारा 164 के अन्तर्गत न्यायालय में

मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये जाते हैं । बयानों से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को यह कहना आवश्यक है कि व्यक्ति बयान देने हेतु आबद्ध (Bound) नहीं है यदि देता है तो वह सोच समझकर बयान दे क्योंकि उसके द्वारा कहे गये तथ्य उसके विरूद्ध उपयोग में लाए जा सकते हैं । बयान दाता द्वारा अपने बयानों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है । कथन लेखबद्ध किये जाने से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति को शपथ दिलाई जायेगी ।

25. संदिग्ध मृत्यु जांच (Inquest) के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं ?

जब किसी पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या किसी व्यक्ति या पशु के मारने या मशीनरी या दुर्घटना से मृत्यु हुई है या ऐसा संदेह का पर्याप्त कारण है किसी किसी अन्य ने यह अपराध किया है तो वह इसकी सूचना तुरंत निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा । मजिस्ट्रेट तुरंत मौके पर जाकर मृत शरीर को देखकर दो प्रतिष्ठित नागरिकों की मौजूदगी में अन्वेषण करेगा तथा शरीर के घवों की स्थिति निशानों और किसी उपकरण व आयुध द्वारा घटना को अंजाम दिया गया हो तो उसका वर्णन निपोर्ट में अंकित कर पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर सहित जिला मजिस्ट्रेट को पेश करेगा ।

यदि ऐसी बलात्कार या मृत्यु जो किसी अभिरक्षा में हुई हो तो इसकी जांच धारा 176 में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी ।

(Sec. 174)

26. संक्षिप्त विचारण (Summary Trial) क्या है ?

संहिता में कुछ छोटे अपराध जो समन्स केस (अर्थात् जिनमें 2 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान होता है) होते हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा उनका विचारण से संक्षिप्त तरीके किया जा सकता है । इसमें यदि अभियुक्त के अपने दोषी होने का अभिकथन करने पर साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन कर निर्णय दिया जाता है । ऐसे मामलों में सजा 3 माह से अधिक की नहीं हो सकती है ।

(Sec. 260-262)

27. अभिवाक चर्चा (Plea Bargain) क्या है ?

किसी अपराध के आरोपित व्यक्ति द्वारा न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिया जाता है कि वह अपराध की प्रकृति एवं दंड को अच्छी तरह समझने के पश्चात् स्वेच्छा से केस में अभिवाक (Plea Bargain) करना चाहता है जिसमें अपराध महिला अथवा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरूद्ध किया गया है उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा ।

न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक, अपराध के पीडित (Victim) को नोटिस जारी कर बुलाया जाता है तथा आरोपित व्यक्ति को बंद कमरे में (In Camera) सुनकर संतुष्ट होने पर कि उसने स्वैच्छिक कथन किया है, लोक अभियोजन, आरोपित और पीडित के साथ बैठकर आपस में मुआवजा तय करने का समय दे देता है और उनकी रिपोर्ट पेश होने पर निश्च अनुसार मुआवजा पीडित को देने का एवं आरोपित को अपराधी परीवीक्षा अधिनियम में पाबंद कर रिहा करने का आदेश दे देता है ।

हत्या, आजीवन कारावास, सात वर्ष से अधिक दंड के अपराधों एवं देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होता है ।

यह नया प्रावधान वर्ष 2006 में जोडा गया है ।

(Sec. 265 A to L)

28. निराधार गिरफ्तार कराए व्यक्ति को प्रतिकर (Compensation) देने संबंधी क्या प्रावधान हैं ?

    यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पुलिस से गिरफ्तार करवाता है और सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी का कोई पर्याप्त आधार नहीं था तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करवाने वाले व्यक्ति को एक हजार रूपये गिरफ्तार व्यक्ति को देने का आदेश दे सकता है – यह राशि ऐसा करने वाले व्यक्ति से जुर्माने की तरह वसूल की जायेगी । राशि न देने पर तीस दिन के साधारण कारावास की सजा दी जा सकती है ।

    (Sec. 358)

29. किस तरह के आपराधिक मामलों में अपील नहीं (No Appeal Case) की जा सकती है ?

    जिन मामलों में अभियुक्त स्वयं के दोषी होने का अभिकथन (Pleads Guilty) करता है तथा ऐसे मामले जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये 6 माह के कारावास दंड एवं एक हजार जुर्माने सेशन न्यायालय एवं महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तीन माह के कारावास एवं दो सौ रूपये के जुर्माने, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित केवल एक सौ रूपये के

जुर्माने के दंड के मामलों में किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती

(Sec. 375, 376)

30. आपराधिक मामलों में अभियुक्त को जमानत पर कौन छोड सकता है ?

जमानतीय अपराधों में यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा अथवा न्यायालय में जाने पर न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड दिया जाएगा ।

गैर जमानतीय अपराधों यथा मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास दंड के अपराधों के अतिरिक्त अन्य मामलों में कुछ अपवादों को छोडकर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के अलावा न्यायालयों द्वारा भी जमानत पर छोडा जा सकता है – मृत्यु व आजीवन कारावास के मामलों में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा ही जमानत ली जा सकती है ।

(Sec. 437)

31. अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) क्या है ?

यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे बिना अजमानतीय अपराध में पुलिस द्वारा किसी अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर छोड दिये जाने का अग्रिम आवेदन कर सकता है ।

(Sec. 438)

न्यायालय ऐसे मामलों में अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थी के पूर्व अपराध, भागने की संभावना आदि को ध्यान में रखकर लोक अभियोजक एवं पुलिस को आदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर जमानत पर छोड दिया जाए ।

32. लोक अभियोजक (Public Prosecutor) कौन है ? इनकी नियुक्ति कैसे होती है ?

उच्च न्यायालय में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिये केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मरामर्श से लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है । लोक अभियोजक न्यायालयों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा दायर मामलों अथवा मामलों के बचाव हेतु नियुक्त अधिकारी को कहते हैं ।

जिला स्तर पर के न्यायालयों में नियुक्ति हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला सेशन जज से विमर्श कर एक पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाता है उसमें से सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है ।

राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर उपलब्ध होने की स्थिति में लोक अभियोजक नियुक्ति केडर अधिकारियों से जाती है ।

33. न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु किसी व्यक्ति को किस प्रकार विवश किया जा सकता है ?

न्यायालय किसी व्यक्ति को सम्मन द्वारा जमानती वारंट द्वारा अथवा गिरफ्तारी वारंट द्वारा न्यायलय के समक्ष उपस्थिति होने हेतु विवश कर सकता है ।

साधारणतः समन जारी करने के पश्चात् अथवा उसके बजाए जमानती वारंट जारी किये जाते हैं । यदि न्यायालय को लगता है कि जिसके लिये सम्मन जारी किया जा रहा है वह भाग जाएगा, वह समन प्राप्त करने के पश्चात् भी अकारण हाजिर नहीं होता है तो जमानती या गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है ।

यदि न्यायालय को विश्वास जो जाता है कि व्यक्ति जिसके विरूद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है तो उसके फरारी की घोषणा कर सकता है फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को कोई भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर सकता है ।

यदि व्यक्ति उद्घोषणा के बाद भी उपस्थित नहीं होता है और न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि वह अपनी संपति को बेच रहा है तो न्यायालय कुर्की आदेश जारी कर सकता है ।

चैप्टर 6 सैक्शन 61

33. परिशांति भंग (Breach of Peace) होने की संभावना वाली अचल संमति के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट के क्या अधिकार हैं ?

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा अथवा अन्यथा यह सूचना मिलती है कि किसी जमीन, पानी, भवन फसल पर दो पक्षों के विवाद के कारण शंति भंग की संभावना है तो मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु समन जारी करेगा । सुनवाई कर सुनिश्चित करेगा कि विवाद के दिन किस पक्ष के कब्जे में विवादित स्थान था । आदेश करेगा कि विवादित स्थान से बेदखल किये जाने के किसी आदेश के होने तक उसके कब्जे में विघ्न न डाला जाए ।

यदि यह प्रकट होता है कि वास्तव में किसी पक्ष का कब्जा विवादित स्थल पर नहीं था तो ऐसी संपति को कुर्क कर उस पर संपति की देखभाल हेतु रिसीवर नियुक्त किया जाएगा जो मामले का निपटारा होने तक कब्जे में रखेगा ।

(Sec. 445 & 447)

34. आपराधिक मामलों में संज्ञान की परिसीमा (Limitation for Taking Congnizable Offences) क्या है ?

दीवानी मामलों की भांति अब कुछ आपराधिक मामलों में भी संज्ञान की परिसीमा तय की गई है – ऐसे अपराध जिनमें

केवल जुर्माना की सजा है तो परिसीमा 6 माह एक वर्ष तक की सजा के मामलों में एक वर्ष तीन वर्ष तक की सजा के मामलों में तीन वर्ष अपराध की तिथि से उक्त परिसीमा का निर्धारण होगा । उसके अतिरिक्त मामलों में संज्ञान के लिये कोई सीमा नहीं है ।

(Sec. 468)

35. लोक सेवकों के अभियोजन संबंधी (Prosecution of Public Servants) क्या प्रावधान हैं ?

जब किसी ऐसे व्यक्ति पर अपराध का अभियोग है जिसे राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता जो उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन (while acting in discharge of his official duty) के रूप में किया है तो किसी न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उस पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता । भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्तर्गत ऐसे पूर्व सेवक जिनके विरूद्ध लोक सेवक के पद पर कार्य करते हुए भ्रष्टाचार के अपराध

का आरोप है उनके लिये भी न्यायालय द्वारा संज्ञान (Cognizance) लिये जाने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी ।

(Sec. 197)

36. पुलिस द्वारा तलाशी लिये जाने के सामान्य नियम क्या हैं ?

पुलिस जब किसी व्यक्ति को गैर जमानतीय अपराध में गिरफ्तार करती है या जमानतीय अपराध में व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है उसकी तलाशी ले सकती है । उस व्यक्ति से तलाशी में पहने वस्त्रों के अलावा कोई वस्तु अपने कब्जे में ले कर उसकी रसीद गिरफ्तार व्यक्ति को देगी । किसी स्त्री की तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए महिला द्वारा ली जायेगी । तलाशी दो तरह की होगी शारीरिक (जामा) तलाशी और स्थान की (खाना) तलाशी। खाना तलाशी न्यायालय से तलाशी वारंट (Search Warrant) प्राप्त करके ही ली जा सकती है ।

(Sec. 93,94)

37. आम व्यक्ति किन मामलों में पुलिस या मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिये आबद्ध (Bound) है ?

यदि कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी आम व्यक्ति से किसी फरार या फरार हो रहे व्यक्ति को पकडने में, परिशांति भंग (Breach of Peace) को रोकने या निवारण करने में, अथवा किसी रेल, नहर, तार या लोक संपति को क्षति पहुंचने से रोकने में सहायता मांगता है तो आम व्यक्ति उसकी सहायता करने हेतु आबद्ध (Bound) है ।

(Sec. 37)

38. विकृतचित्त व्यक्ति (Accused person of unsound mind) के सम्बन्ध में विचारण (Trial) के क्या प्रावधान हैं ?

यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति अभियुक्त के रूप में पेश किया जाता है जिसके संबंध में यह विश्वास करने का पूर्ण कारण है कि वह विकृत चित्त (Unsound Mind) है तो वह उस व्यक्ति की राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिले के सिविल सर्जन से परीक्षण करवाएगा । परीक्षण में विकृत चित्त सिद्ध होने पर जांच को लंबित (Pending) रखेगा । जांच लंबित रहने पर विकृत चित्त व्यक्ति की जमानत पर किसी व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रति भूति (Sufficient Security) देने पर कि वह उसकी अपनी अभिरक्षा में देखभाल करेगा और व्यक्ति के विकृत चित्त न रहने पर विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उसकी अभिरक्षा में छोड सकता है ।

(Sec. 328)

39. आजीवन कारावास किसे कहते हैं ?

आजीवन कारावास से तात्पर्य मृत्यु पर्यन्त जेल में रहने से हैं । जिन अपराधों में मृत्यु की सजा दी जा सकती हो और न्यायालय द्वारा मृत्यु के बजाए आजीवन कारावास की सजा दी हो तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी सजा में छूट (जो जेल में अच्छे आचरण और कार्य हेतु दी जाती है) कम से कम 14 वर्ष जेल में रहने के पश्चात् मामले पर राज्य सरकार शेष सजा में छूट पर निर्णय करती है – अन्य आजीवन कारावास की सजा में 20 वर्ष की दो तिहाई अर्थात् 13 वर्ष 4 माह बाद समुचितसरकार (Appropriate Government) शेष सजा माफ करने पर विचार कर छोड सकती है । (यूनियन ऑफ

इण्डिया बनाम श्रीहरन एवं अन्य उच्चतम न्यायालय 2015 (9))

(Sec. 432, 433 A)

40. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति (Interent Power) क्या है?
उच्च न्यायालय संहिता के अंतर्गत जारी किसी भी आदेश को प्रभावी करने हेतु अथवा किसी न्यायालय की कार्यवाही के दुरूपयोग को निवारित (Prevent Abuse of the Process of any Court) कोई आदेश जारी कर सकता है ।

(Sec. 482)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
Indian Evidence Act, 1872

काषार्पणं भवेदण्डयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः

तत्र राजा भवेदण्ड्य सहस्रमिति धारणा

The King himself is also liable to be punished one thousand times more than what would be inflicted on an oridinary person (law is the king of kings, none is above law not even the king)

(मनुस्मृति – VIII-335-336)

केवलं शास्त्रं आश्रित्य क्रियते यत्र निर्णयः

व्यवहारस्य विज्ञेयो धर्मस्तेनाति हीयते

The decision should not be arrived by merely relying on the words of a text because if Judges come to a conclusion without applying careful reasoning and having witness view, there would be miscarriage of Justice.

(बृहस्पति स्मृति – 284–12)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

Indian Evidence Act, 1872

1. साक्ष्य (Evidence) क्या है ?

साक्ष्य दो तरह की है । मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य । जिन तथ्यों को जांचाधीन विषय के संबंध में न्यायालय में कहे जाने की न्यायालय अनुमति देता या अपेक्षा करता है वे मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence) कहलाते हैं ।

न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिये जो दस्तावेज पेश किये जाते हैं दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence) कहलाते हैं । इनमें इलैक्ट्रोनिक अभिलेख भी शामिल हैं ।

2. दस्तावेज (Document) क्या है ?

साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ऐसा विषय तथ्य जो किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकों या चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित किया गया है यथा लेख, मुद्रित शिला मुद्रित, फोटो चित्रित मानचित्र, धातुपट्ट, उत्कीर्ण उपहासांकन (Caricature) सभी दस्तावेज कहलाते हैं ।

3. साबित (Proved) क्या है ?

जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् यह विश्वास करे कि किसी तथ्य का अस्तित्व (Believes it to Exist) है तो विषय या तथ्य साबित (Proved) कहा जाता है ।

4. ना साबित या असिद्ध (Disproved) तथ्य क्या है ?

जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विषयों तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् साक्ष्य से न्यायालय को यह विश्वास हो कि किसी

तथ्य या विषय का अस्तित्व नहीं (Does not Exist) नहीं है तो कहा जाता है कि तथ्य असिद्ध (Disproved) है ।

5. सिद्ध / साबित नहीं (Not Proved) हुआ से क्या तात्पर्य है ?

   जब कोई तथ्य न तो साबित (सिद्ध) (Proved) किया गया हो और न ही असिद्ध (Disproved) किया गया हो तो कहा जाएगा कि वह तथ्य साबित नहीं हुआ ।

6. मृत्युकालीन घोषणा (Dying Declaration) क्या है ?

   जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारणों के संबंध में कोई वक्तव्य देता है या उन परिस्थितियों के संबंध में देता है जिसके कारण

   उसकी मृत्यु हुई है, ऐसे कथन विधि अनुसार सुसंगत (Relevant) माने जाते हैं, जिनमें मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है किन्तु वक्तव्य देने के पश्चात् यदि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो वह कथन मृत्युकालीन घोषणा (Dying Declaration) नहीं कहा जा सकता ।

   (लक्ष्मण बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एआईआर 2002 उच्चतम न्यायालय 2973)

7. प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence) और द्वैतीयक साक्ष्य (Secondary Evidance) क्या है ।

   प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत मूल दस्तावेज है जहां दस्तावेज कई प्रतियों में तैयार किया गया हो तो प्रत्येक प्रति प्राथमिक साक्ष्य है ।

   जब कोई दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां (Certified Copies) यांत्रिक प्रक्रियाओं (Machanical Process) से तैयार की गई प्रतियां, मूल से बनाई गई या तुलना की गई किसी व्यक्ति ने

स्वयं दस्तावेज देखा है उसका मौखिक साक्ष्य सभी द्वैतीयक साक्ष्य (Secondary Evidance) कहलाते हैं ।

8. लोक दस्तावेज (Public Documents) क्या है ?

वे दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न अधिकारी (Sovereign Authority), राजकीय संस्थान या अधिकरण, भारत के किसी भाग के या कामनवल्थ के या किसी विदेश के विधायी (Legistature) न्यायिक (Judicial) कार्यों से संबद्ध या कार्यपालक अधिकारी के कार्यों या कार्यों के अभिलेख के बारे में हो, उसे लोक दस्तावेज कहते हैं ।

9. मुख्य परीक्षा (Examination in Chief) क्या है ?

जब किसी पक्षकार द्वारा किसी साक्षी (Witness) को न्यायालय में बुलाया जाता है और बुलाने वाले द्वारा अपनी बात को साबित करने के लिये जो पूछताछ की जाती है उसे मुख्य परीक्षा कहते हैं ।

10. प्रति परीक्षा (Cross Examination) क्या है ?

जब एक पक्षकार द्वारा बुलाए साक्षी से प्रतिवादी (बुलवाने वाले के विरोधी) द्वारा पूछताछ कर उससे उन तथ्यों को निकलवाने का प्रयत्न किया जाता है जो प्रतिवादी के पक्ष में हो अथवा जो बात उससे उसे बुलवाने वाले के पक्ष में कही है उसी के शब्दों में असत्य साबित करने का प्रयत्न करते हुए जो पूछताछ की जाती है उसे प्रति परीक्षा (Cross Examination) कहते हैं ।

11. पुनः परीक्षा (Re Examination) क्या है ?

प्रति परीक्षा के पश्चात् साक्षी को बुलवाने वाले व्यक्ति को अपने साक्षी से पुनः पुछताछ का अवसर दिया जाता है, पुनः

परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के लिये होगी जो प्रति परीक्षा में आये हों, पुनः परीक्षा में यदि न्यायालय की अनुमति से नये तथ्यों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये हों तो दूसरे पक्षकार को अतिरिक्त प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा ।

12. प्रतिकूल गवाह (Hostile Witness) कौन होता है ?

जब कोई साक्षी उसे बुलवाने वाले पक्षकार के विरूद्ध साक्ष्य देता है या पक्षकार द्वारा अपेक्षित साक्ष्य नहीं देता है तो वह साक्षी प्रतिकूल गवाह कहलाता है ।

13. विशेषज्ञ की राय (Expert Evidence) किसे कहते हैं । ?

जब न्यायालय को किसी विदेश विधि, विज्ञान, कला की किसी बात पर या हस्तलेख व अंगुली चिन्हों के संबंध में राय बनानी हो तो इन विषयों के विशेषज्ञों की राय को सर्वथा ससंगत (Relevant) माना जाता है और उनकी साक्ष्य विशेष राय (Expert Evidence) कहलाती है ।

14. निश्चयात्मक सबूत (Conclusive Proof) क्या है ?

जहां इस अधिनियम द्वारा किसी एक तथ्य को अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया गया है वहां एक तथ्य के सिद्ध होने पर दूसरा तथ्य सिद्ध माना जाता है और न्यायालय उस तथ्य को असिद्ध (Disprove) करने हेतु साक्ष्य की अनुमति भी नहीं देता है ।

(Sec. 4)

यथा यदि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरूष के बीच विधिपूर्ण विवाह के रहते हुए या विच्छेद के बाद 280 दिन के अंदर अंदर होता है तो यह स्वतः सिद्ध

(Conclusively Proved) माना जाता हतै कि वह उन दोनों का वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है ।

(Sec. 112)

15. "अलीबी" सिद्धान्त (Principle of Alibi) क्या है ?

जब कोई व्यक्ति किसी एक तथ्य के माध्यम से यह सिद्ध कर देता है कि वह अमुक दिन अमुक समय किसी एक स्थान पर था तो यह सुसंगत सिद्ध माना जाता है कि वह दूसरे स्थान पर नहीं था, यथा यदि "अ" पर जिस दिन एवं समय जयपुर में किसी की हत्य करने का आरोप है और वह उसी दिन और उसी समय स्वयं का न्यूयार्क में होने को सिद्ध कर देता है तो माना जाता है कि वह जयपुर में नहीं था और उसने हत्या नहीं की है । इसे (Alibi Theory) कहते हैं ।

Law, Principles of Natural Law, Law of Interpretation & Some Judgements of the Supreme Court, Having Effect on Social System

1. What is law?

   Law is the command of the soverign. It imposes duty, and backed by a sanction or punishment. It is also a social institution to satisfy social norms and social control. Command, duty and sanction are the three elements of law. (Austin & Ehrlich)

2. What are the basic rules of Interpretation of law?

   (A) Literal or grammatical Interpretation- : (पाठयक्रम न्यायः)

   When the words of an enactment are clear and unambiguous, effect should be given to a provision of statute whatever may be the consequences.

   (B*)* *The Golden rule – (संदिग्धस्य वाक्यशेषानिर्णयः)*

   Ordinarily the court must find out the intention and natural meaning of the statute but if this leads to absurdity, repugnance, inconvenience, hardship, injustice or evasion court must modify the meaning to such extent and no further as would prevent such a consequence.

(C) <u>*Construction expressio unius est exclusio alterius.* (मण्डूकप्लुति न्यायः)</u>

When express mention of one thing is there in the statute then it implies the exclusion of another thing. Thing may even belong to the same particular class.

(D) <u>*ejusdem generis* (घटपट न्यायः)</u>

Normally genernal words should be given their natural meaning like all other words unless the context requires otherwise. eg - if words like milk, butter, curd, are there then the word written in between "whey" which means watery part of milk (chhachh) not "hay" that is grass.

When express mention of one thing in there in the statute then it implies the exclusion of another thing. Thing may even belong to the same particular class.

3. What are the Basic principles of Natural Justice?

Some basic principles of natural justice are :-

(i) *Nemo judex in re sua*

No man can be judge in his own case

(ii)*Audi Alteram Partem*

No one should be condemned without hearing

(iii)Justice should not only be done but manifestly and undoubtedly be shown to have done.

Supreme Court Judgements :-

4. Adultery No longer a criminal affair

Five judges bench of supreme court in its land mark judgement Joseph Shine V. Union of India AIR 2018 SC 4898 Writ Petition (Criminal) no. 194/2017 dated 27/09/2018 scrapped 150 year old adultery law:-

"Adultery cannot and should not be a crime. It can be ground for civil offence, a ground for divorce"

Sec. 497 IPC punished a married man for adultery if he had sexual relations with married women without the consent of her husband. Supreme Court said wife is not Chattel and the property of her husband.

5. Triple Talaq is Unconstitutional

Supreme Court in its judgemental in Shayra Bano V. Union of India & others (2017) 9 SCC I date 22/08/2017 declared the practice of instant triple Talaq (Talaq-e-biddat) to be unconstitutional. There after parliament has passed Muslim Woman (protection of rights on marriage) act 2018.

(There are other forms of talaq also in Mohmmadan law i.e. Talaq-e-Hasan, Talaq-e-Ahsan, Talaq-e-Zihar, Talaq-e Khula, Talaq-e-Mabarat etc. where Talaq is not instant but period

of iddat, (waiting period), to be observed, supreme court did not interfere with these forms).

NB- Triple Talaq is banned in 23 countries, banned in Pakistan in 1961, in Turkey 1926)

6. <u>Supreme court Judgement on decriminalising Section 309 IPC, 'Attempt to Suicide'</u>

   It is path breaking verdict linking "right to life" with "right to die" with dignity; Supreme Court said it is in human to punish a distressed person who failed to end his life through suicide. To give effect to the Supreme Court decision parliament has passed an amendment in the Mental Health Care Act which states "Notwithstanding any thing contained in Sec. 309 IPC any person who attempts to commit suicide shall be presumed, unless proved otherwise, to have severe strees and shall not be tried and punished under the said code". (P Ratnam Vs Union of India and others 1994 SCC 394 but it was overruled in Gyan Kaur Vs State of Punjab AIR 1996 SC 1257) (Though section 309 is still on the statute but as the amendment has been made in the special act so it decriminalizes the offence).

7. <u>Supreme Court allowed women of all ages to enter Sabarimala Temple:</u>

Indian Young Lawyers association Vs State of Kerela 2018 SCC 1690 date 28/09/2018.

Supreme Court has strucksdown a rule that disalloed girls and women in the 10-50 age groups from entering the Sabarimala Temple in Kerala. The rule violates their right to equality and also right to worship of lord Ayyappa. Court said any subversion and repression of women under the garb of biological or physiological factors (such as menstruation) could not be given the seal of legitimacy and any discrimination against women.

8. Caste decided by birth can not be changed:

   Sunita Singh Vs State of Uttar Pradesh civil appeal no. 487/2018 date 19/01/2018.

   Supreme Court while setting aside a KV. Teacher's appointment said a woman borne in Agrawal family will remain by that cast for whole life, she can not claim her husband's caste of scheduled class. Her claim for benefits of reservation fails.

9. Decriminalisation of Homosexuality:

   Navtej Singh Johar Vs Union of India Writ Petion criminal no. 76 2016

   Date 06/09/2018.

   Supreme Court in a landmark judgement decriminalized gay sex between two adults as

covered under right to privacy. Five judges bench struck down sec. 377 of IPC holding it violative of the fundamental right to privacy. However court said that sec. 377 would continue to the in force in cases of Unnatural sex with animals and children.

10. Live streaming of Suprem Court proceedings:

    Indra Jai Singh with NGOs etc. Vs Secretary General Write petion civil 66 2018 date 26/09/2018.

    Supreme Court ordered live streaming and video recording of court proceedings. Court said it will bring more transparency in judicial proceedings and effectuate the 'Public right to know', 'Sunlight is Best Disinfectant'.

11. Adhar is not Mandatory but voluntary for citizens to submit:

    Justice K. S. Puttaswamy Vs Union of India and others Writ Petion civil 494 2012 date 26/09/2018.

    Supreme Court ruled mandatory linking of Adhar with every bank account in violative of right to privacy. Govt. failed to give explanations on how mandatory linking of every bank alcount will eradicate or reduce problems of money laundering and black money. Entire population cannot be subjected to intrusion into their private lives. Though Adhar Act is Constitutional, and is beneficial legislation aimed act empowering millions of people in this country.

About the Author

Shri S.S. Bissa born (1952) and brought up at Jaisalmer, is law graduate from the University of Rajasthan, Jaipur. He retired from Indian Administrative Service Service as Secretary and Commissioner, Deptt. of Information & Public Relations, Govt. of Rajasthan, worked as collector and District Magistrate Bundi, Jalore and Nagaur districts and as Director of Elementary Education also. He is known for his innovative open Public Grievance Redressal System through "Samasya Samadhan Chhapri" Deaddition camps and intensive "Panchwati Plantation" Through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in the districts.. Awarded with the " Scroll of Honour " by the Ministry of Rural Development Govt. of India for excellence implementation of NREGA in Jalore District.

Prior to joining IAS he was an officer of Rajasthan Jail Service (Rajasthan Administrative and Allied Services 1976 Batch). He is the first prison service officer selected in IAS (Awarded 1996 batch). He is also recipient of various state and national level awards for his reformative works in prisons, including President's Medal for Meritorious Service. Selected by National Human Rights Commission to join a special course on Human Rights at Kings College, London (UK) and conference at Kathmandu (Nepal).

Immediately after retirement (2012) he joined HCM RIPA as Visitting Professor in Center for Good Governance and now working as Project Consultant.

Also associated with several social and educational organizations. He is Secretary Transparency International India (Rajasthan chapter), Joint Secretary All India services (Pensioners) Association Raj, External member of Audit & Accounts Committee Rajasthan State, (A.G.), working as Adviser to the Home Department Rajasthan to Review, Revision & New formation of prison laws.

He is also imparting voluntary services for the handicapped as CEO of Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (Jaipur Foot), Jaipur.

Coordinator Peace & Non Violence Cell, Deptt. Of Art and Culture, Govt. of Rajasthan.

The HCM Rajasthan State Institute of Public Administration Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302017

Tel.: 0141-2706556 Fax : 0141-2705420

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जयपुर परिसर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

दूरभाष : 0141-2706556

फैक्स : 0141-2705420

ई-मेल : hcmripa@rajasthan.gov.in

वेबसाईट : www.hcmripa.gov.in

सैटेलाइट कैम्पस

- **उदयपुर परिसर**

रानी रोड, उदयपुर-313001

दूरभाष : (0294) 2431355/2430276

फैक्स : (0294) 2431355

- **बीकानेर**

नागनेचेजी मंदिर के पास, शिव बाड़ी रोड, बीकानेर-334001

दूरभाषः (0151) 2240941

फैक्स : (0151) 2249008

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

- **जोधपुर**

रामराज नगर के पास, चौखा, जोधपुर-342001

दूरभाष : (0291) 2556735

- **कोटा**

सिविल लाईन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा-324001

दूरभाष : (0744) 2327729